भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 67
दिनांक 29 जनवरी, 2026

उपभोक्ता पंप लाइसेंस का दुरुपयोग

67. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, अहमदनगर जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने निजी कंपनियों के द्वारा उपभोक्ता पंप लाइसेंस के दुरुपयोग और डोर-टू-डोर डिस्पेंसर (डीडीडी) के अवैध संचालन के संबंध में गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी अवैध गतिविधियां वैध पेट्रोल डीलरों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट और वित्तीय क्षति हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जब डीलर इन अवैध कृत्यों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं, तो उन्हें उपभोक्ता पंप मालिकों और उनके समर्थकों की ओर से खतरे और दबाव का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अवैध डीडीडी परिचालनों की जांच करने और उन्हें रोकने, वैध डीलरों के हितों की रक्षा करने और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि अहिल्यानगर जिला आपूर्ति कार्यालय को श्रीरामपुर तालुका, जिला अहिल्यानगर में बाउजरों के माध्यम से डीजल की खुदरा बिक्री के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के संदर्भ में, श्रीरामपुर तहसीलदार के माध्यम से एक जाँच की गई। एक दल नियुक्त किया गया और तालुका के बाजार और विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निरीक्षण किए गए। तथापि, बाउजरों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का कोई मामला नहीं पाया गया। राज्य सरकार द्वारा आगे यह बताया गया है कि अब तक अनधिकृत पेट्रोलियम उत्पादों के ऐसे किसी भी अवैध परिवहन, बिक्री और भंडारण का पता नहीं चला है।

इसके अलावा, तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) डीलरों/ईंधन उद्यमों द्वारा संचालित डोर-टू-डोर डिलीवरी (डीडीडी) बाउजर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचारों की रोकथाम का विनियमन) द्वितीय संशोधन आदेश दिनांक 10.12.2019 द्वारा शासित होते हैं। डीलरों/ईंधन उद्यमों को इस आदेश में उल्लिखित प्रावधानों के साथ-साथ पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा जारी अनुज्ञप्ति (प्रपत्र XIV और प्रपत्र XIX) और डीडीडी के संचालन को नियंत्रित करने वाली पीईएसओ मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर पीईएसओ द्वारा पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 152 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने अपने सभी हितधारकों को डीडीडी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन नियामक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
